

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक प.25(15)आयु. / 2017 दिनांक 19.11.2020 के अतिक्रमण में आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी (आयुष) विभागान्तर्गत संचालित समस्त चिकित्सालयों/औषधालयों में महिरंग रोगियों को देखने (ओ.पी.डी.) का समय निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है -

क्र.स.	औषधालय/ चिकित्सालय	अवधि	महिरंग रोगियों को देखने (ओ.पी.डी.) का समय
1	राजकीय आयुष जिला चिकित्सालय / चिकित्सालय/औषधालय (ग्रामीण एवं शहरी)	01 अप्रैल से 30 सितम्बर	प्रातः 8.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक (रविवार एवं राजपत्रित अवकाशों के दिनों में प्रातः 8.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक)
		01 अक्टूबर से 31 मार्च	प्रातः 9.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक (रविवार एवं राजपत्रित अवकाशों के दिनों में प्रातः 9.00 बजे से प्रातः 11.00 बजे तक)
2	आयुष हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर संचालित विभागीय चिकित्सालय/ औषधालय		उपर्युक्तानुसार
3	विभागीय चिकित्सालय/औषधालय, जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के परिसर में संचालित है।		चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के आदेशों के अनुसार

नोट :- जिन विभागीय चिकित्सा केन्द्रों पर योगाम्बास कार्यक्रम प्रतिदिन संचालित होता है, उनका समय प्रातःकाल भी 02 घण्टे रखा जावे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

राजस्थान - सरकार

राजस्थान-सरकार

निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर

क्रमांक:प.3/सामा-1/समय परि./2020/18243

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

दिनांक 9-12-21

1. उपशासन सचिव, आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग जयपुर।
2. कुल सचिव, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर।
3. प्राचार्य, राजस्थान आयुर्वेद महाविद्यालय उदयपुर।
4. प्राचार्य, राजकीय आयुर्वेद नर्स/कम्पा0 प्रशि0 केन्द्र अजमेर।
5. समस्त अतिरिक्त निदेशक(सम्भाग) आयुर्वेद विभाग राज0।
6. समस्त, उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग राज0।
7. प्रभारी राजकीय आयुर्वेद शल्य चल चिकित्सा इकाई अजमेर।
8. प्रोग्रामर, आयुर्वेद निदेशालय अजमेर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. प्रभारी प्रतिष्ठापन/जाँच शाखा आयुर्वेद विभाग अजमेर।

(डॉ० आनन्द कुमार शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक